फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

शिम्भूदयाल बनाम जिला शिक्षा अधिकारी वगै0

किस्म मुकदमा–इजराय मु0नं0–02/2022

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह इजराय प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में निर्णित पत्रावली शम्भूदयाल बनाम जिला शिक्षा अधिकारी वगै0 मु0न0 83/2019 निर्णय दिनांक 07.10.2020 के संबंध में पेश की गई है। उक्त निर्णय में प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया गया था जिसकी पालना के संबंध में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना में वर्णित तथ्यानुसार अप्रार्थीगण को उक्त निर्णय दिनांक 07.10.2020 में प्रार्थी की भूमि में दखलअन्दाजी करने से पाबंद किया गया था लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थी की भूमि में होकर 12 फुट चौडा दरवाजा निकाल लिया है इसलिए उक्त दरवाजे को बंद किया जावे। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण जो कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है एवं प्रार्थी द्वारा जिस दरवाजे को बंद करने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं भूमि वर्तमान में उक्त विद्यालय एवं छात्राओं हेतु रास्ते के रूप में काम आ रही है एवं मौके पर रास्ता चालू है इसलिए उक्त रास्ते को बंद किया जाना न्यायोचित नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र इजराय खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	